कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : NULM/2023–24/08 दिनांक :– 19/04/23

बोली के लिए आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 01/2023–24

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा नई प्रारम्भ की जाने वाली इन्दिरा रसोईयो हेतु वर्तन, फर्नीचर, कम्प्युटर, विद्युत उपकरण व अन्य उपकरणों के कय हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारम्भ तिथि 20/04/23 अन्तिम तिथि 01/05/23 व खुलने की तिथि 02/05/23 ..है।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपी :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन :–
   1. एक मुख्य क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में,
   2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में,

   में नियम अनुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावें। तथा **E-Mail Id - nulmudr@gmail.com** पर समाचार पत्रों के इन्टीमेशन ई–मेल करने का भी श्रम करावें।

UBN No.

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

निविदा सूचना संख्या – ई 01/2023–24

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा इन्दिरा रसोई योजना हेतु निम्नांकित सामग्री जिनका विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिए ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

कार्य सं	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखो में)	बोली प्रतिभूति अनुमानित लागत का 2%	निविदा प्रपत्र शुल्क M.D. RISL, Jaipur शुल्क	सप्लाई करने की अंतिम दिनांक
1.	बर्तन क्रय करने का कार्य।	13.80	27,600	590 (500+90gst) 500	20-05-23
2.	फर्नीचर क्रय करने का कार्य।	15.00	30,000	590 (500+90gst) 500	20-05-23
3.	कम्प्युटर क्रय करने का कार्य।	04.80	9,600	590 (500+90gst) 500	20-05-23
4.	विद्युत उपकरण क्रय करने का कार्य।	07.20	14,400	590 (500+90gst) 500	20-05-23
5.	अन्य उपकरण क्रय करने का कार्य।	07.20	14,400	590 (500+90gst) 500	20-05-23

ऑन लाईन EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने का प्रोसेस :–

1. निविदा प्रपत्र अनुसार EMD, Tender Fee & Processing Fee निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेब साईट http://www.udaipurmc.org पर TENDERS ➡ TENDER FEE PAYMENT में जाकर Online जमा कराकर प्राप्ति रसीद वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराये जाने वाले दस्तावेजो के साथ अटेच करनी होगी।
2. बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिगं फीस व निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि हेतु बिडर्स को सलाह दी जाती है कि उक्त बिन्दू संख्या 1 के अनुसार ही ये राशियां जमा करावें। निगम के बैंक खाते में सीधे ही RTGS, NEFT या अन्य कोई भी UPI द्वारा राशि जमा करा देने की प्रकिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे बिडर्स को अप्रत्युत्तरदायी मानकर उनकी वित्तीय बिड को नहीं खोला जाएगा। अतः उक्त बिन्दू संख्या 1 में वर्णित प्रकियानुसार ही बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिगं फीस व निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि जमा कराई जाए। सुविधा हेतु स्क्रीन शॉट संलग्न है।
3. अपवाद स्वरूप तकनिकी कारणों से यदि उक्त बिन्दू संख्या 1 के अनुसार ऑनलाईन हस्तान्तरण न हो पाए तो RTPP Rules 2013 के नियम संख्या 42 के अनुसार ये राशियां नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इस स्थिति में आवेदन शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम, उदयपुर तथा प्रोसेसिगं फीस हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट MD RISL, Jaipur के नाम होना चाहिये तथा स्वंय बिडर के खाते से बना होना चाहिये जो बिड के खोलने की दिनांक से आगामी 30 दिवस के लिए वैध हो। इस प्रकार के तीनों पृथक–पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रारम्भ तिथि से निविदा की अंतिम तिथि के आगामी कार्य दिवस के दौरान कभी भी जमा करायें जा सकेगें। भौतिक रूप से डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने का अंतिम समय निविदा समाप्ति के आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 12.00 बजे तक का रहेगा। इसके पश्चात प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगें।

सामान्य :–

1. निविदा में भाग लेने वाले बीडर द्वारा जो डीडी जमा एवं साईट पर अपलोड़ की जायेगी वह निविदा प्रकाशन के बाद की दिनांक की होनी आवश्यक है।
2. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है ।
3. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1 (1) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैंक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर. आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :– वित्तीय बिड खोले जाने की दिनांक से 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि को विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FORFIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)

2. विलम्ब से प्राप्त बोलियाँ :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

3. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :– उपापन संस्था बोली लगाने वाली के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :– (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि अनुबन्ध के समय जमा करानी होगी।

6. बोली प्रतिभूति :– प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी उवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।

7. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात् :–
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करतर है।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
   (ड) यदि बोली लगाने वाला RTPP ACT 2012 और RTPP Rules 2019 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

8. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

9. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–
   (1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।
   (2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।
   (3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
   (4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

10. करार का निष्पादन :–
   (1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
   (2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
   3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
   (4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

11. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :–
   (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। ग्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी :–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

12. बोली दस्तावजों में परिवर्तन :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

13. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :–

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यतया की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रुप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत की जायेगी।

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

14. समयावधि में वृद्वि :– नगर निगम यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में तीन माह वृद्वि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त/महापौर संक्षम होगें।

15. बोली लगाने वाला, जो :–

(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है।

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजो के निबंधनों में अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूर्ति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है।

वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त पेनाल्टी वसुल होगी। जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत होगी।

16. प्रतिभूति जब्त :– बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी।

1. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971.
2. Wherever any claim against the contractor for the payment of a sum of money arises out of under the contracts, the MCA shall be entitled to recover the sum by appropriating in part or whole of the security deposit of the contractor, In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor then the balance of the total sum recoverable as the case may shall be deducted from any sum then due or which at any time there contract with the MCA should this sum be sufficient to recover the full amount recoverable. The contractor shall pay to MCA on demand the balance remaining due. The MCA shall further have the right to affect such recoveries under P.D.R. Act.
3. No conditions are to be added by the contractor and conditional tender is liable to be rejected.
4. The rates provided in tender documents are inclusive of all Taxes and royalty.
5. Undersigned has full right to reject any or all tenders without given any reasons.
6. All the provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 will be applicable. If there is any contradiction in existing special conditions and provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 shall be applicable.

17. निविदा की दरे निविदा खुलने से एक वर्ष तक वैध होगी। दरे समस्त करो सहित व FOR उद्वत की जाए। निविदा दरो के अलावा कोई भुगतान देय नही होगा।

18. धरोहर राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के नाम से स्वीकार किये जायेगें । जिसमे प्रथम न्यूनतम निविदादाता की डी.डी./बेंकर्स चैक रोके जाकर बाकी सभी को डी.डी./बैंकर्स चैक लोटा दिये जावेगे।

19. एफ.ओ.आर. नगर निगम द्वारा चिन्हित 12 स्थान होगें। जो कि है Paduna, Bhudhar, Menar, Balicha, Kheroda, Kotra, Bambora, Sayara, Bhabarana, Gogunda , Dabok, Jhadol है।

20. प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करनी होगी। जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशी की पाच प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रफोर्मेन्स धरोहर राशि (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।

23. निविदा शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जावेगा।
24. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागु होगें।
25. उत्पादनकर्ता/अधिकृत एजेन्ट का प्रमाण–पत्र साथ में संलग्न करना होगा।
26. आदेश एवं दुरभाष पर सूचना देने के पश्चात् माल/सामग्री की सप्लाई नही देने पर कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फर्म/निविदादाता की रिस्क पर सप्लाई ली जावेगी। इसके लिए फर्म/निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
27. निविदाकार को निविदा के साथ माल का सेम्पल देना होगा।
28. स्वीकृत निविदाकार को माल की सप्लाई करने के बाद एवं वैरीफिकेशन होने के पश्चात् ही बिल के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
29. निविदा मे अंकित दिनांक या इससे पूर्व माल सप्लाई करना होगा, सप्लाई नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार 10 प्रतिशत पेनाल्टी बिल से काटी जायेगी।
30. आयकर का पेन नम्बर व जी.एस.टी नम्बर देना आनिवार्य होगा।
31. समस्त राजकीय कर जैसे जी.एस.टी., आईटी., रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण कर, काटे जाकर संबंधित विभाग में नगर निगम द्वारा ही जमा कराये जावेगें अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
32. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध संपादन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारण नही करने पर धरोहर राशि जब्त कर नगर निगम द्वारा ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी जिसका उत्तरदायी संवेदक स्वयं होगा।
33. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदाका दिशा निर्देशों जो कि विभाग में स्वीकृत नही है या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को क्रियान्वित करने में असफल बिना किसी पूर्व भावना या अधिकारी के तहत् निविदा की धरोहर राशि किसी भी फर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी अगर कोई ठेकेदार जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का क्रियान्वयन या कार्य प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नही किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नही बन सकेगा, और उसकी निविदा धरोहर राशि/अमानत राशि अनुबन्ध के अनुसार जब्त की जावेगी।
34. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन साईज मेक एवं ड्राईग्स आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
35. प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां इन वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर मार्क होना चाहिए।
36. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जायेगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनें सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
37. निविदादाता उचित पैकिंग करने क लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि क्षति, टूट–फू या रिसाय (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लगात स्वीकार नही की जायेगी।

भुगतान हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नही की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

39. भुगतान हेतू बिल प्रत्येक माह प्रस्तुत करना होगा।

40. **परिनिर्धारित क्षति** : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसुली निम्नलिखित प्रतिक्षतता के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5.0 प्रतिशत।
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10.0 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्रधिकारी का आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

41. वसूलियाः परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी दये राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वूसली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

42. जुर्माना :–
(क) वितीय बोलियों के सुनने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
(ख) सफल बोली लगाने वाले घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है।
(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूमि या कोई अन्य दस्तावेजों या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारों के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

43. निविदा प्रपत्र निविदा में वर्णित शर्ते मेरे (फर्म/निविदादाता) द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैने हस्ताक्षर कर दिये है एवं सभी शर्तो का पालन करने के लिए में सहमत हूँ।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

इन्दिरा रसोई योजना अन्तर्गत नगर निगम द्वारा रसोई में उपलब्ध करवाये जाने वाली सामग्री

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विवरण	संख्या प्रति रसोई	विशेष दर प्रतिनंग / प्रतिकिलो
		कम्प्यूटर		
1	कम्प्यूटर	Processor-i3/Ryzen3,Hard disk- 1 TB, Ram-4GB, Windows-MS Windows 10 (64 Bit), Monitor-18.5 inch LED, With Wired keyboard & Mouse(Optical)	1	प्रति नंग
2	प्रिन्टर	USB Tharmal Receipt Printer	1	प्रति नंग
3	वेबकैमरा	Auto Focus 1280x720P Web Camera with Microphone for Video Calling Conferencing	1	प्रति नंग
		बर्तन		
1	गैस भट्टी	Medium Size (ISI Mark)	2	प्रति नंग
2	चपाती सेकने का गैस चुल्हा	Big Size	1	प्रति नंग
3	एल्मुनियम भगौना मय ढक्कन	36, 38, 40, 42 Number	6	प्रति किलो
4	परात	Big Size	2	प्रति किलो
5	बर्फी ट्रे	Iron Steel	2	प्रति किलो
6	सब्जी दान– 3 इन– 1	Heavy Duty Stainless Steel	3	प्रति किलो
7	तस्ला	Heavy Duty Stainless Steel	6	प्रति किलो
8	जग	Heavy Duty Stainless Steel	6	प्रति किलो
9	चम्मच(Serving Spoon)	Heavy Duty Stainless Steel	4	प्रति किलो
10	स्टील बाल्टी	Heavy Duty Stainless Steel	3	प्रति किलो
11	भोजन थाली– 4 इन 1	Heavy Duty Stainless Steel	150	प्रति किलो
12	पानी के गिलास	Heavy Duty Stainless Steel	150	प्रति किलो
13	पानी की टंकी 100 लीटर	Heavy Duty Stainless Steel	1	प्रति किलो
14	कचरा पात्र 20 लीटर	Heavy Duty Stainless Steel	2	प्रति किलो
15	ऐलिम्युनियम डिब्बे क्षमता 20 किलों	Good Quality	4	प्रति किलो
16	छोटे चम्मच खाने हेतु	Heavy Duty Stainless Steel	150	प्रति किलो
17	डिजिटल वजन मशीन क्षमता 5 किलो	Good Quality	1	प्रति नंग
18	डोलसी सब्जी बनाने हेतु	Heavy Duty Stainless Steel	4	प्रति नंग
19	कुकर 20 लिटर	Heavy Duty Stainless Steel	1	प्रति नंग
20	बेलन व चकला	Good Quality	2	प्रति नंग
21	चिमटे बडे	Heavy Duty Stainless Steel	2	प्रति नंग
22	चाकु	Good Quality	2	प्रति नंग
23	खुरपे 3 फीट	Good Quality	2	प्रति नंग
		फर्नीचर		
1	स्टील टेबल	Heavy Duty 304 Steel	12	प्रति किलो
2	स्टील बैंच	Heavy Duty 304 Steel	12	प्रति किलो
3	काऊन्टर टेबल	Good Quality Wooden	1	प्रति नंग
4	काऊन्टर कुर्सी	Good Quality Steel/Wooden	1	प्रति नंग
5	हलवाई टेबल	Good Quality Wooden	1	प्रति नंग

	विद्युत उपकरण			
1	रेफ्रिजरेटर	180-220 Litre (Above 3 Star)	1	प्रति नंग
2	मिक्सर–ग्राइन्डर	Heavy Duty 2 IN 1 (ISI Mark)	1	प्रति नंग
3	सीलिंग पंखा	Minimum 48 Inch (ISI Mark)	4	प्रति नंग
4	चपाती वार्मर	Heavy Duty Big Size	1	प्रति नंग
5	सब्जी वार्मर	Electric Heavy Duty Big Size (2 in 1)	1	प्रति नंग
6	एग्जास्ट फेन	Heavy Duty (ISI Mark) 18 Inch	1	प्रति नंग
7	स्मार्ट LED टी.वी 43 इंच With Free DISH TV &Installation	Branded	1	प्रति नंग
	अन्य उपकरण			
1	वाटरकूलर	Heavy Duty Big Size Branded 40 Litre with Machine RO	1	प्रति नंग

नोट : उक्त अनुमानित सामग्री की सूची मार्ग दर्शन हेतु दी गई है। रसोई हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त /वैकल्पिक सामग्री व्यय सीमा का ध्यान रखते हुए क्रय की जा सकती है।

1. दरें सभी प्रकार के करों व व्ययों सहित **F.O.R.** अंकित की जाए।
2. निविदा में दी गई दर के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।